

जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय,.....

वर्ष 2025 में इन्टर प्रथम श्रेणी (First Division) से उत्तीर्ण केवल अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का राशि प्राप्त करने हेतु (आवेदन-पत्र)

(केवल छात्रा के द्वारा English में Capital Letter में भरा जायेगा)

1- Name of Student :-	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अभिप्रमाणित छात्रा का वर्तमान का फोटो चिपकाएँ
2- Date of Birth:-	
3- Father's Name:-	
4- Mother's Name :-	
5- Roll Code :-	
6- Roll Number:-	
7- College Name :-	
8- Passing Year Inter :-	
9- Catagerory :-	
10- Aadhaar Link Mobile No:-	
11- Account Holder Name:-	
12- Account Number:-	
13- IFSC CODE:-	
14- Bank Name:-	
15- Student Aadhaar No:-	
16- Full Address:-	
17- State Name :-	
18- District Name :-	
19- Block Name :-	
20- Pin Code :-	
आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कागजात:- 1- अंक पत्र, 2 – प्रवेश पत्र, 3- बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं IFSC CODE के साथ), 4- आधार कार्ड, 5- आवासीय प्रमाण-पत्र	
नोट:- सभी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति को प्राचार्य / प्रधानाध्यापक से अभिप्रमाणित कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में छात्रा द्वारा जमा किया जाय एवं साथ में सभी Original Document अपने साथ सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है।	

प्राचार्य / प्रधानाध्यापक का
हस्ताक्षर एवं महर

छात्रा का हस्ताक्षर